रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1982/फाल्गुन 29, 1903
No. 102] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1982/PHALGUNA 29, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1982

का. आ. 143(अ)/18-एफ.बी./आई डी.आर.ए /82 :— भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 190(अ)/एफ. बी./आई डी. आर. ए./78, तारीख 21 मार्च, 1978 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) जिनका मैसर्स नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम या स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

और उक्त आदेश की अवधि 20 मार्च, 1982 तक और बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 22 दिसम्बर, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 22 दिसम्बर, 1982 तक जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[फा. सं. 2(44)/77-सी. यू. एस.]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1982

S.O. 143(E)/18FB/IDRA/82.—Whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (De-

partment of Industrial Development) No. S.O. 190(E)/18FB/IDRA/78, dated the 21st March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by the clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing order or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as M/s. National Rubber Manufacturers Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended to the said period ;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto 20th March, 1982.

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period upto and inclusive of 22nd December, 1982.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, the Central Government hereby extend the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 22nd December, 1982.

[F. No. 2(44)/77-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982